

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम-....., तहसील-....., नगर-..... जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी (सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

प्रारूप-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर

की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक ... से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

APPENDIX-4

Plan of Examination

There shall be three stages of Competitive Examination Viz. (1) Preliminary Examination (Objective and Multiple Choice Type) (2) Main Examination (Written Conventional Type) and (3) Viva-voce (Personality Test).

APPENDIX-5

Syllabus for U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Preliminary Examination

Paper-I Time-2 hours MM-150

GENERAL KNOWLEDGE

This paper may include questions based on topics relating to History of India and Indian Culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social relevance including sensitivity to persons with disabilities, senior citizens and offences on women and children with special references to the salient features of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, Dowry Prohibition Act, 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, India and the world, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.

The nature and standards of questions in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

Paper-II Time-2 hours MM-300

LAW

This paper will include day to day happenings around India and the world, particularly in Legal spheres, Acts and laws.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| (i) Jurisprudence | (ii) International Organisations |
| (iii) Current International Affairs | (iv) Indian Constitution |
| (v) Transfer of Property Act | (vi) Indian Evidence Act |
| (vii) Indian Penal Code | (viii) Civil Procedure Code |
| (ix) Criminal Procedure Code | (x) Law of Contract |

**Syllabus for U.P. Judicial Service Civil Judge
(Junior Division) Main Examination (Written Examination)**

The Examination shall include the following Subjects:-

Paper No.:1 General Knowledge

M.M.200

This paper may include questions based on topics relating to History of India and Indian Culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social relevance including sensitivity to persons with disabilities, senior citizens and offences on women and children with special references to the salient features of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, Dowry Prohibition Act, 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, India and the World, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.

The nature and standards of questions in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

Paper No.2- English Language :-

This paper will be of 100 marks. It shall comprise three questions as specified below:-

- | | |
|--|------------|
| (i) Essay | – 50 marks |
| (ii) Précis writing | – 30 marks |
| (iii) Translation of passage from Hindi to English | – 20 marks |

Paper No. 3- Hindi Language :-

This paper will be of 100 marks. It shall comprise three questions as specified below:-

- | | |
|--|------------|
| (i) Essay | : 50 marks |
| (ii) Precis writing | : 30 marks |
| (iii) Translation of passage form English to Hindi | : 20 marks |

Paper No. 4- Law-I (Substantive Law) :-

This paper will be of 200 marks. The question set will be restricted to the field covered by:- The law of contracts, the law of Partnership, the law concerning easements and torts, the Law relating to transfer of property including the

principles of equity, specifically applicable thereto, the principal of Equity with special reference to the Law of trust and specific relief, Hindu Law and Mohammedan Law, and Constitutional Law. There shall be questions of 50 marks in relation to Constitutional Law alone.

Paper No. 5- Law-II (Procedure and Evidence) :-

This paper will be of 200 marks.

Questions set will be restricted to the field covered by-the law of evidence, the Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The question set will relate mainly to practical matters such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witnesses the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

Paper No. 6- Law-III (Penal, Revenue and Local Laws) :-

This paper will be of 200 marks.

Questions set will be restricted to the field covered by-Indian Penal Code, Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, Uttar Pradesh Urban Building (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, Uttar Pradesh Municipalities Act, U.P. Panchayat Raj Act, U.P. Consolidation of Holdings Act, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act 1973, together with rules framed under the aforesaid Acts.

Answer to the questions of Local Laws will be compulsory. Questions pertaining to Penal Laws will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.

6. Interview: The interview will be of 100 marks. The suitability of candidates for employment in the Uttar Pradesh Judicial Service will be tested with reference to his merit giving due regard to his ability character, personality and physique.

Clarification: The candidates will have a choice to answer General Knowledge and Law papers either in Hindi or in English.

Note: (i) The marks obtained in the interview will be added to the Marks obtained in the written papers and the candidates place will depend on the aggregate of both (ii) The Commission reserves the right to refuse to call for Interview any candidate who has not obtained such marks in the Law Papers as to justify such refusal.

Secretary